-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2024 में थाना गिरवां क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति ,सास व ससुर को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित वर्ष-2024 में थाना गिरवां क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति ,सास व ससुर को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि जनपद बांदा थाना अतर्रा क्षेत्र अन्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग के पास की रहने वाली हमीदन ने दिनांक 02.03.2024 को थाना गिरवां पर सूचना दी कि उनकी पुत्री का विवाह वर्ष 2018 को थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम तरखरी के रहने वाले हमीद से हुई थी, शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों द्वारा उनकी पुत्री की दिनांक 01.03.2024 को फांसी लगाकर जान से मार दिया गया। इस सम्बन्ध में थाना गिरवां पर मु0अ0सं0 62/2024 धारा 498ए/304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरैनी सुश्री अम्बुजा त्रिवेदी द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 16.08.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी प्रदीप सतोइया के अथक प्रयासों से आरोपी पति ,सास व ससुर को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. हमीद पुत्र राजअली निवासी ग्राम तरखरी थाना गिरवां जनपद बांदा। (पति)
2. जौहरा पत्नी राजअली निवासी ग्राम तरखरी थाना गिरवां जनपद बांदा।(सास)
3. राजअली पुत्र कल्लू निवासी ग्राम तरखरी थाना गिरवां जनपद बांदा।(ससुर)